न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/52/2023

अशोक कुमार गुप्ता, न्यू सिविल लाईन, महिला थाने के पास म0 नं0 आर–382 भरतपुर

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 26.09.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट अशोक कुमार गुप्ता, न्यू सिविल लाईन, महिला थाने के पास म0 नं0 आर–382 भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है। कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 618 दिनांक 29.08.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर के पत्रांक सामान्य/अपील/2022/8823 दिनांक 14.09.2023 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया है कि वॉछित सूचना प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण पत्रांक सामान्य/RTI(96)/2023/4995 दिनांक 7.7.2023 से आरटीआई 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित कर दिया गया था।

जिला कलक्टर
भरतपुर

उक्त अपील के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्रांक स्था./2023/4685 दिनांक 22.09.2023 शामिल पत्रावली किया जाकर, जबाब का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि कार्यालय के पत्रांक स्था./सूचना का अधि./2023/4650 दिनांक 22.09.2023 से अपीलार्थी के घर के पते पर सूचना भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) अपीलान्ट को प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य/स्थापना अनुभाग कलै0 भरतपुर को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर